IS 15700:2005
सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड–लखनऊ–13, आफिस काम्पलेक्स, (द्वितीय तल)
सेक्टर–9, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
e-mail : ed13lucknow@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700
Bureau of Indian Standards
SQMS

पत्र सं0– 286 / AC-5 / 07 दिनांक– 22/02/21

ई–निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद में सम्बन्धित श्रेणी में पंजीकृत एवं अनुभवी ठेकेदारों/फर्मो से ई–निविदा द्वारा टू–बिड पद्धति में निम्नांकित विवरण के अनुसार निविदाएँ आमंत्रित की जाती है, जो उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–लखनऊ–13, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्पलेक्स वृन्दावन योजना लखनऊ स्थित कार्यालय में गठित समिति द्वारा खोली जाएंगी। कार्यो की मात्राएं बी0ओ0क्यू0 के अनुसार होंगी।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित कुल लागत (लाख में)	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य + समस्त कर (GST) सहित (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह)	श्रेणी
1.	पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में निर्माणाधीन अराजपत्रित हॉस्टल का अवशेष निर्माण कार्य।	38.00	4.00	2500.00+18% GST =2950.00	06 माह	तृतीय

निविदा से संबंधित विवरण	तिथि व समय
Document Download Start Date	27.02.2021 (6:00 PM)
Document Download End Date	16.03.2021 (03:00 PM)
Bid Submission Start Date	28.02.2021 (10:00 AM)
Bid Submission/Closing Date	16.03.2021 (03:00 PM)
Pre bid Meeting	15.03.2021 (03:00 PM)
Technical Bid Opening Date	16.03.2021 (03:30 PM)
Financial Bid Opening Date	Date will be declared after opening Technical Bid

ई–निविदा हेतु :–

अ–निविदा से संबंधित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि अलग–अलग RTGS के माध्यम् से जमा किया जा सकता है। RTGS निम्नलिखित विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व **दिनांक 15.03.2021** तक इस कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। वांछित धनराशि कार्यालय में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा।

कार्यालय का पता व खाते का विवरण निम्नवत् है :–

Concerning Division Office: Executive Engineer Construction Division-Lucknow-13,
U.P. Housing & Development Board, Office Complex
2nd Floor, Vrindavan Yojna, Lucknow.

Accounts Detail for RTGS: Executive Engineer Construction Division-Lucknow-13,
Indusind Bank ,
Branch-Upper Ground Floor, Plot No. 9A/9B,
Saraswati Puram, Rae Bareli Road, Lucknow.
Account No. 150000200300
IFSC code: INDB0000832

ब– निविदा प्रपत्र/धरोहर धनराशि के मूल्य से संबंधित आर0टी0जी0एस0 का यू0टी0आर0 नम्बर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड भी किया जाना होगा।

स– निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट www.upavp.in के निविदा लिंक पर तथा उ0प्र0 इलेक्ट्रिानिक कारपोरेशन की वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के संबंध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदार/फर्मो द्वारा ही आनलाइन निविदा डाली जा सकती है।

सामान्य शर्ते

1– उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24 (2) के अंतर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अतः निविदा स्वीकृत एवं अनुबंध गठन के बाद एक सप्ताह के अंदर पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जाएगा तथा देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जाएगी।

2– निविदाओं की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यो की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/फर्मो से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें कालान्तर में स्थल से संबंधित कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

3– निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबंध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबंध हेतु प्रस्तुत करने होंगें।

4– निविदादाताओं/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–लखनऊ–13 लखनऊ के पक्ष में बंधक हो, जमा करनी होगी।

5– अनुबंध गठन की प्रकिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि संबंधित ठेकेदार/फर्म सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली

6– निविदादाता/फर्म द्वारा दिए गए दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाए जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जाएगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबंध गठन के बाद होती है तो अनुबंध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।

7– निविदादाता/फर्म को GST में एवं लेबर सेस हेतु सम्बन्धित विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। कार्य की लागत में GST सम्मिलित नहीं हैं, तथा तद्समय GST का भुगतान नियमानुसार कार्य की लागत पर देयता के अनुसार किया जाएगा।

8– निविदादाता/फर्म के सभी देयकों से कार्य की लागत पर आयकर, लेबर सेस तथा अन्य कर जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जाएगी।

9– यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जाएगी।

10– शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि कार्य पूर्ण होने के पश्चात् एक वर्ष होगी तथा यह धनराशि कुल निर्माण लागत का 01 प्रतिशत धनराशि कैश के रूप में रोकी जायेगी एवं उक्त धनराशि डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि पूर्ण होने के पश्चात् ही अवमुक्त की जाएगी।

11– समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/जल निगम/परिषद की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराए जाएंगें।

12– जी0पी0डब्लू0–9 फार्म अनुबंध का हिस्सा होगा।

13– कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जाएगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित कम्युलेटिव प्रगति करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुबंध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा।

14– निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जाएगा।

15– कार्य के डिफेक्ट लाइबिल्टी की अवधि तीन साल होगी जिसके लिए कार्य की लागत का 01 प्रतिशत जमानत धनराशि कार्य पूर्ण होने के तीन वर्ष पश्चात् अवमुक्त की जाएगी।

16– विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य, विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत लाइसेन्स धारक व्यक्ति/फर्म से कराये जाने का शपथ पत्र/प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा।

17– दीमक रोधी उपचार का कार्य अर्ह लाइसेन्स अथवा अर्हलाइसेन्स धारक व्यक्ति/फर्म से कराये जाने का शपथ पत्र/प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा।

18– सम्बन्धित विभाग को कार्य हस्तगन कराने की जिम्मेदारी फर्म की होगी जिसके उपरान्त ही अन्तिम भुगतान किया जायेगा एवं सिक्योरिटी की धनराशि प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट निर्गत होने के उपरान्त ही नियमानुसार अवमुक्त की जाएगी।

19– कार्य की प्राथमिकता के अनुसार उ0प्र0 शासन से समय–समय पर धन अवमुक्त होने के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। फर्म/ठेकेदार द्वारा प्राथमिकता से भिन्न किये गये कार्य का भुगतान तत्समय नहीं किया जायेगा।

20– शासनादेश संख्या 522/23–12–2012–2 आडिट/08 टी0सी0–2 दिनांक 08–06–2012 के अनुसार बी0ओ0क्यू की से Below दर देने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी।

(क) 10 प्रतिशत Below तक दर पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम (Below) दर पर।

(ख) 10 प्रतिशत से अधिक Below दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम (Below) दर पर।

21– सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदाएं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा जिसके संबंध में कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।

22– सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

23– किसी भी विवाद हेतु न्यायिक क्षेत्र जनपद–लखनऊ होगा।

(राहुल यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांक :– 206 / ACS/07 दिनांक :– 22/02/2021

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता (म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. निदेशक, ग्लोबल कन्सट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
5. कम्प्यूटर सेल, मुख्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि परिषद की वेबसाइट पर प्रसाारित करने का कष्ट करें।
6. सहायक अभियन्ता–II/सम्बन्धित अवर अभियन्ता/सहायक लेखाधिकारी/संगणक निर्माण खण्ड–लखनऊ–13, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. नोटिस बोर्ड।

अधिशासी अभियन्ता